न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष अशोक [illegible]

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3052–तीन/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 20–6–2013 पारित – व्दारा – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण कमांक 333/अ–19/2006–07 निगरानी

1 महेन्द्र पुत्र गजराज यादव

2 हरीमोहन पुत्र गजराज यादव

निवासीगण ग्राम रामनगर

तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ ———आवेदक

विरूध्द

मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदक

आवेदक के अभिभाषक श्री डी.एस.चौहान

आदेश

(आज दिनांक 25.8.2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण कमांक 333/अ–19/2006–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–6–2013 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने नायब तहसीलदार ओरछा जिला टीकमगढ़ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि वह वर्ष 1980 से ग्राम मथुरापुरा की आराजी कमांक 17/2 रकबा 1.200 हैक्टर (आगे जिसे

वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर काबिज होकर खेती करते आ रहे [illegible] उक्त नाम भूमि [illegible] की [illegible] नायब तहसीलदार [illegible] ने प्र.क. 24/अ–19/2001–02 पंजीबद्ध किया तथा जांच एवं सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 20–5–2002 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के नाम व्यवस्थापित कर दी।

अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी ने प्रतिवेदन दिनांक 27 11 2004 प्रस्तुत कर कलेक्टर, टीकमगढ़ को नायब तहसीलदार द्वारा भूमि व्यवस्थापन में अनाधिकृत कब्जा बताया जिस पर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने आवेदकगण के विरूद्ध स्वमेव निगरानी कमांक 19/2005–06 पंजीबद्ध की तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 28–2–2007 पारित किया तथा नायब तहसीलदार का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 20–5–2002 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी कमांक 333/अ–19/2006–07 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 20–6–2013 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि आवेदकगण के हित में ग्राम मथुरापुरा स्थित आराजी कमांक 17/2 रकबा 1.200 हैक्टर पर आवेदकगण का पिता के जमाने से कब्जा चला आ रहा है और यह कब्जा प्रकरण में आई साक्ष्य से 1980 से होना प्रमाणित है । अपर आयुक्त ने स्वयं आदेश में माना है कि आवेदकगण का कब्जा खसरा वर्ष 1996–97 से [illegible]

है किंतु अपर कलेक्टर एंव अपर आयुक्त ने वादोक्त भूमि पर आवेदकगण उसके पूर्व 1980 से पिता का कब्जा न मानने में भूल की है जबकि तहसील न्यायालय में कब्जा प्रमाणित होने पर ही भूमि व्यवस्थापित की गई है। उन्होंने अपर कलेक्टर एंव अपर आयुक्त के आदेशों को निरस्त करने एंव नायब तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश को स्थिर रखने की प्रार्थना की।

6/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख से प्रकरण में देखना है कि क्या आवेदकगण का कब्जा 1080 से वादग्रस्त भूमि पर चला आया है एंव खेती करते आये है अथवा नहीं ? तहसील न्यायालय में ग्रामीण साक्षी गणेश पुत्र प्यारेलाल आयु 57 वर्ष एंव आशाराम आयु 70 वर्ष स्वतंत्र साक्षियों के कथन हुये हैं इन्होंने कथनों में बताया है कि उन्होंने ग्राम मथुरापुरा की भूमि सर्वे नंबर 17 / 2 पर 30–35 वर्ष से कब्जा एंव खेती करते देखा है। नायब तहसीलदार के प्रकरण में पृष्ठ 7 से 13 तक वादग्रस्त भूमि के विभिन्न वर्ष के खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपि की छाया प्रति संलग्न है। संवत 2043 अर्थात 1986 के खसरा प्रति अनुसार इस भूमि का रकबा 11.942 हैक्टर होकर विभिन्न ग्रामीणों का कब्जा होकर खेती की जा रही है जिसमें गजराज तनय कृपाराम का भी कब्जा है । नायब तहसीलदार के प्रकरण में पटवारी हलका नंबर 23 जमुनिया की रिपोर्ट दिनांक 17–4–2002 संलग्न है जिसके अनुसार आवेदकगण के नाम अथवा उनके परिजनों को नाम भूमि न होना बताया है अर्थात आवेदकगण भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं। पटवारी ने प्रतिवेदन के कालम नंबर 30 में बताया है कि आवेदकगण ने भूमि को कृषि योग्य तैयार किया है एंव कालम नंबर 28 के अनुसार भूमि व्यवस्थापन से ग्राम के मवेशियों एवं ग्राम के निस्तार में बाधा नहीं आवेगी। स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार ने पूर्ण जांच उपरांत एवं

आवेदकगण का कब्जा 2 10 1984 के पूर्व का पाये जाने से भूमि व्यवस्थापित की

6/ अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 28-2-2007 में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रकरण का अध्ययन करने पर स्थिति यह है कि वादग्रस्त भूमि को आवेदकगण ने कृषि योग्य बनाया है एवं एकमात्र यही भूमि उनकी आजीविका का साधन होना बताई गई है। आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदकगण ने वादग्रस्त भूमि पर अधिक अनाज उत्पन्न करने की दृष्टि से भूमि [illegible] सिंचित बनाने में एवं भूमि के समतलीकरण पर काफी धन व श्रम व्यय किया है। अधीनस्थ न्यायालीन के प्रकरणों के परीक्षण पर पाया गया कि नायब तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश दिनांक 30-5-2002 को अपर कलेक्टर ने स्वमेव निगरानी में लेकर आदेश दिनांक 28-2-2007 से अर्थात 06 वर्ष 8 माह बाद निरस्त किया है। यदि मानवीय दृष्टिकोण इन तथ्यों पर विचार किया जाय -

1 भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 50 - जब किसी पक्षकार को बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हो गए हो तब विलम्ब से किया गया पुनरीक्षण अवधि बाधित है और ऐसा विलम्ब 01 वर्ष भी अयुक्तियुक्त है।

2 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 भूमि का आवन्टन किया गया सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गल्तियाँ की गई - प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई त्रृटियों के कारण पात्र भूमिहीन को भूमि के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता । (इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्व म.प्र.शासन 2009 रा.नि. 251 से अनुसरित)

स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 19 स्वमेव निगरानी/2005-06 में आदेश दिनांक 28-2-2007 पारित करते समय एवं अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा निगरानी क. 333/अ 19/06 07

2006-07 में विचार करते समय उक्त तथ्यों की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 333/अ-19/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-6-2013 एंव अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 19/2005-06 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक [illegible] 2007 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। परिणामतः नायब तहसीलदार ओरछा व्दारा प्रकरण कमांक 24 अ 19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 30-5-2002 स्थिर रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर